रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1380] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 16, 2006/कार्तिक 25, 1928
No. 1380] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 16, 2006/KARTIKA 25, 1928

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना
नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2006
(आय-कर)

का.आ. 1977(अ).— केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (42) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए,-

1. (क) पत्तन राज्य नियंत्रण संबंधी हिन्द महासागरीय समझौता ज्ञापन सचिवालय, 38-क, गैलिएंट, बगमालो रोड, दाबोलिन, गोवा को निकाय के रूप में ;

(ख) पत्तन राज्य नियंत्रण संबंधी हिन्द महासागरीय समझौता ज्ञापन सचिवालय को बैंककारी कंपनी के पास निक्षेपों पर ब्याज के रूप में उद्भूत होने वाली किसी ऐसी आय को, जिसको बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है, विनिर्दिष्ट आय के रूप में,

अधिसूचित करती है ।

2. यह अधिसूचना, निर्धारण वर्ष 2006-07 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के लिए लागू होगी ।

[अधिसूचना सं. 338/2006/फा. सं. 149/186/2005-टीपीएल]
वन्दना रामचन्द्रन, अवर सचिव (टीपीएल-I)

स्पष्टीकारक ज्ञापन :

एक निकाय के रूप में, पत्तन राज्य नियंत्रण संबंधी हिन्द महासागरीय समझौता ज्ञापन सचिवालय को, और किसी बैंककारी कंपनी के पास निक्षेपों पर ब्याज के रूप में, उक्त सचिवालय को उद्भूत होनी वाली किसी आय को, जिसको आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (42) के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट आय के रूप में,

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है, अधिसूचित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है । प्रस्तावित अधिसूचना, निर्धारण वर्ष 2006-07 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के लिए लागू होगी ।

धारा 10 का खंड (42), जो वित्त अधिनियम, 2006 द्वारा, 1 अप्रैल, 2006 से भूतलक्षी प्रभाव से, अंतःस्थापित किया गया था, उपबंधित करता है कि दो या अधिक देशों से, केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई किसी संधि या करार या केन्द्रीय सरकार द्वारा हस्ताक्षरित किसी अभिसमय के अधीन, स्थापित या गठित या नियुक्त किए गए किसी अधिसूचित निकाय या प्राधिकरण, और जिसको लाभ के प्रयोजन के लिए स्थापित या गठित या नियुक्त नही किया गया है, को उद्भूत होने वाली कोई विनिर्दिष्ट आय, ऐसे निकाय या प्राधिकरण की कुल आय में सम्मिलित नहीं होगी ।

पत्तन राज्य नियंत्रण संबंधी हिन्द महासागरीय समझौता ज्ञापन सचिवालय को बैंक ब्याज के रूप में उद्भूत होने वाली किसी आय का, जो वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए अन्यथा कर योग्य होती, आय कर से छूट प्राप्त होना प्रस्तावित की जाती है । अतः, वर्तमान अधिसूचना को, निर्धारण वर्ष 2006-07 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के लिए, भूतलक्षी प्रभाव से लागू होने योग्य बनाने के लिए, प्रस्तावित किया जाता है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से, इस अधिसूचना द्वारा, किसी निर्धारिती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।